भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
स्थापना-II

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांकः 26/09/2022

**परिपत्र**

विषयः संविदा आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परामर्शदाताओं की नियुक्ति।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संविदा आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित करता है। परामर्शदाताओं की तैनाती विभाग में होगी। परामर्शदाताओं की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत नियम व शर्तें संलग्न हैं। योग्यता मानदंड व अन्य विवरण निम्न प्रकार से हैः

<table>
<tr><td>1.</td><td>संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाताओं की संख्या</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>आयु सीमा</td><td>आवेदन की तारीख को अधिकतम 62 वर्ष</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>कार्यस्थल</td><td>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>पात्रता</td><td rowspan="2">अनुलग्नक-I के अनुसार</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>कार्य</td></tr>
</table>

2. इच्छुक व्यक्ति जो तत्काल रूप से पद को संभाल सकते हैं वे इस परिपत्र के जारी होने के ३० दिन के अंदर अवर सचिव (स्थापना), कमरा सं.-३३०-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली110011 (दूरभाष: 011-23061323) को संबंधित दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रारूप में अपना विवरण जमा करा दें।

3. यदि हिंदी संस्करण के परिपत्र में कोई विसंगति है, तो अंग्रेजी संस्करण का परिपत्र लागू रहेगा।

Digitally Signed by K Venkatesan
Date: 26-09-2022 13:56:36
Reason: Approved

(के. वेंकटेशन)
अवर सचिव, भारत सरकार

1. विभाग की वेबसाइट में परिपत्र के प्रकाशन हेतु एनआईसी को प्रतिलिपि
2. नोटिस बोर्ड
3. ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड

**अनुलग्नक**

पद संख्या 1 (CHS-III)

| | **कार्यभार** - अवधि) एक वर्ष ( | **पात्रता** |
|---|---|---|
| 1 | **निम्नलिखित मामलों मे** सीएचएस-3 अनुभाग **की सहायता हेतु**:<br>सीएचएस के शिक्षण और जन स्वास्थ्य उप-संवर्गों के विशेषज्ञों के प्रशासनिक मामलों में सहायता करना<br>उपरोक्त संवर्ग पदों की नियुक्ति पूर्व औपचारिकताओं, संघ लोक सेवा आयोग को अनुशंसाओं को अग्रेषित करने आदि से संबंधित कार्यों में सहायता करना।<br>अदालती मामलों, अनुशासनात्मक कार्यवाही, विभागीय पदोन्नति समितियों आदि से संबंधित मामलों में सहायता करना।<br>अनुभाग में निपटाए गए किसी अन्य मामले में सहायता करना। | (1 **पद**)<br>सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी / सहायक अनुभाग अधिकारी या समकक्ष |

पद संख्या 2 (CGHS-III & IV)

| | **कार्यभार** - अवधि) एक वर्ष ( | **पात्रता** |
|---|---|---|
| 1 | **मंत्रालय में निम्नलिखित मामलों में सहायता करना**<br>आरटीआई, वीआईपी रेफरेंस, कोर्ट केस आदि से संबंधित मामलों में सहायता करना।<br>चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों, शिकायतों, सीजीएचएस के नीतिगत मामलों पर स्पष्टीकरण आदि की जांच में सहायता करना।<br>अधिक राशि के चिकित्सा बिल आदि की जांच में सहायता करना।<br>सीजीएचएस-III और IV अनुभागों के कार्यों से संबंधित कोई अन्य कार्य। | (1 **पद**)<br>सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी / सहायक अनुभाग अधिकारी या समकक्ष |

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु नियम व शर्तें:-**

1. परामर्शदाता को नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों को करना होगा।
2. सामान्य कार्यालयी घंटे सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9.5 बजे से सायं 00.बजे तक होंगे 30 1 जिसमें अपराह्न.1 बजे से 00.मिनट का लंच ब्रेक होगा। 30 बजे तक 30
3. परामर्शदाता एक वर्ष की नियुक्ति अवधि के दौरान सेवा के हर पूरे महीने के लिए 1.5 दिन अवकाश का हकदार होगा जिसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
4. विशेष परिस्थितियों में, परामर्शदात को छुट्टियों में कार्य के लिए बुलाया जा सकता है या सामान्य कार्यालयी घंटों से अधिक समय के लिए रोका जा सकता है।
5. संविदात्मक नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए है जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। परामर्शदाता को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान टीडीएस आदि के अधीन पेंशन को घटाकर अंतिम लिए गए वेतन के फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। वह सेवानिवृत्ति के समय आहरित समान दर पर परिवहन भत्ते का हकदार होगाहोगी/
6. माह में किए जाने वाले कार्य के पारिश्रमिक का भुगतान अगले माह में किया जाएगा। कार्यालयी दौरे करने पर टीएडीए पात्रता वही होगी /डीए को छोड़कर अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा। टीए/ जिसके लिए वे सेवानिवृत्त होते समय पात्र थे।
7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास परामर्शदाता की सेवाओं की जांचसमीक्षा करने का / अधिकार होगा।
8. वह अपने दायित्वों को पूरे कौशल, परिश्रम, क्षमता व किफायत के साथ करेंगे।
9. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्हें कोई भी चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। पारिश्रमिक में चिकित्सा संबंधी लागत को कवर किया माना जाता है, यदि कोई हो।
10. मंत्रालय यात्रा सहित उन्हें कार्य करते समय या उसके अलावा होने वाली किसी भी हानि, दुर्घटना, नुकसानक्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।/
11. सेवाकाल के दौरान, वो किसी भी व्यावसायिक के कार्यकलाप के निजी व्यापार में शामिल नहीं होंगे जो सरकार से हित का टकराव पैदा करें।
12. वह सभी सरकारी जानकारी को गोपनीय रखेंगे और उपर्युक्त का उपयोग केवल कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य हेतु ही करेंगे।
13. सेवा को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस दिए जाने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्रालय (CGHS-III & IV) **में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रारूप**

आवेदित पद:
नामः
पिता का नामः
जन्म तिथिः
आधार सं:

सेवानिवृत्त की तारीखः
अंतिम कार्यालय का नामः
अंतिम पदनामः
अंतिम आहरित वेतन (मूल वेतन)
पे लेवेल / ग्रेड पे
पेंशन (मूल)

दूरभाष सं:
मोबाइल नंबरः
ई-मेल आईडीः
मेलिंग पताः
स्थायी पताः

शैक्षिक अर्हताः

कार्य अनुभव (अलग से पेपर लगाएं , यदि आवश्यकता हो)

| संगठनसंस्थान/ | अवधि | | कार्य की प्रकृति | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| | कब से | कब तक | | |
| | | | | |

मैं प्रमाणित करता हूं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी आवेदन की तारीख तक सच और सही है। मैं समझता हूं कि जानकारी छिपाने / गलत सूचना देने का परिणाम नियुक्ति से इंकार / रोजगार की समाप्त या नागरिक दंड हो सकता है।

स्थानः

दिनांकः

(हस्ताक्षर)